

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2021.लखनऊ:दि0::दिसम्बर, 28 ,2021
 --:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के संशोधित आदेशांक-1933/2021 दिनांक 13.12.2021 द्वारा वाराणसी में माह-जनवरी 2022 का युगल पीठ दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 07.01.2022 एवं दिनांक 24.01.2022 से दिनांक 29.01.2022 तक गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 वाराणसी ने अपने पत्रांक-1008/21 दिनांक 24.12.2021 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 24.01.2022 से दिनांक 29.01.2022 तक की अवधि में पारिवारिक वैवाहिक समारोह में उनका भाग लिया जाना अपरिहार्य है। अतैव दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 07.01.2022 तक की खण्ड पीठ में उन्हे तथा दिनांक 24.01.2022 से दिनांक 29.01.2022 की युगल पीठ में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5 वाराणसी को नामित करने का अनुरोध किया गया है। सदस्य पीठ-5 वाराणसी ने उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में सहमति दी है।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 वाराणसी के पत्रांक-1008/21 दिनांक 24.12.2021 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व गठित वाराणसी में युगल पीठ कार्यक्रम दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 07.01.2022 एवं दिनांक 24.01.2022 से दिनांक 29.01.2022 तक में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दिनांक 03.01.22 से 07.01.22 तक दिनांक 24.01.22 से 29.01.22 तक	पीठ-1 वाराणसी पीठ-4 वाराणसी पीठ-3 वाराणसी पीठ-5 वाराणसी	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय

ह0/28.12.2021
 (जितेन्द्र कुमार सिंह)
 एच0जे0एस0
 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ दो-1(32)/ युगल पीठ/ 1986 /2021.तद्दिनांक
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3/4/5/6 वाराणसी।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।